राजस्थान लेखा सेवा परिषद चुनाव 2025
चुनाव हेतु दिशा निर्देश

क्रमांक–2 दिनांक– 12.05.2025

राजस्थान लेखा सेवा के सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान लेखा सेवा परिषद के आगामी चुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम दिनांक 02 मई को घोषित कर दिया गया है ।

उक्त चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं –

1. निर्वाचन दिनांक 25 मई 2025 को ऑनलाइन मोड पर संपन्न होगा।
2. संगठन के लिए अध्यक्ष एक पद ,सचिव एक पद, उपाध्यक्ष एक पद, संयुक्त सचिव दो पद तथा कार्यकारी सदस्य पांच पद के लिए चुनाव प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी।
3. जो अधिकारी उपरोक्त में से किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने का इच्छुक हो वह एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट www.racsassociation.com पर रजिस्टर कर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। एक अधिकारी केवल एक ही पद के लिए चुनाव लड सकता है।
4. चुनाव लड़ने के इच्छुक अधिकारी सर्वप्रथम यह जांच कर ले कि उसका नाम वित्त विभाग की सिविल लिस्ट में अंकित है तथा उसमें अंकित मोबाइल नंबर सही है।
5. इस बात की जांच अवश्य कर ले कि एसोसिएशन द्वारा निर्धारित शुल्क ₹1000 जमा करवाए गए हैं।
6. जिन अधिकारियों के नाम सिविल लिस्ट में शामिल नहीं है अथवा मोबाइल नंबर ठीक नहीं है अथवा सदस्यता शुल्क जमा नहीं है वे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे ।
7. पात्र अधिकारी जो चुनाव में किसी पद के लिए इच्छुक है वह विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने की प्रक्रिया ओटीपी आधारित है। प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन होगा तथा आगे की प्रक्रिया संपन्न होगी ।
8. रजिस्ट्रेशन के उपरांत जिस पद के विरुद्ध चुनाव लड़ना चाहते हैं उस विकल्प का चयन कर नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म में दो प्रस्तावक अधिकारियों के प्रस्ताव भी अनिवार्य होंगे जिनका ऑथेंटिकेशन मोबाइल के माध्यम से प्राप्त ओटीपी से किया जाएगा। डेस्कटॉप या लैपटॉप से नोमिनेशन करने के लिए www.racsassociation.com पर जाकर Home Page पर Election टैब खोलकर दिये गये Instructions के अनुसार नोमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण करें। इसी प्रकार मोबाईल फोन से नोमिनेशन करने

के लिए www.racsassociation.com पर जाकर Home Page पर Menu टैब खोलकर उसमें Election टैब को खोलकर दिये गये Instructions के अनुसार नोमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण करें ।

9. उपयुक्त समय पर ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रक्रिया **ट्रायल के लिए** दिनांक 12 मई से 15 मई, 2025 तक खुली रहेगी। निर्वाचन में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह इस प्रक्रिया का पहले ही अवलोकन और अभ्यास कर लें ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उक्त सुविधा सेवा के सभी सदस्यों को उपलब्ध रहेगी।

10. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा एवं अनुरोध है कि वह चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे अभ्यर्थियों एवं प्रतिद्वंदियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें तथा व्यक्तिगत आचरण एवं व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने से परहेज रखें । जब भी अपने विचार प्रकट करें, गरिमापूर्ण शब्दावली का उपयोग करें । उक्त निर्देशों के गम्भीर उल्लघन (Gross Violation) पर चुनाव समिति किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

11. चुनाव लड़ने के इच्छुक अधिकारी जिस पद के विरुद्ध अपनी अभ्यर्थिता प्रकट करना चाहते हैं, वे औपचारिक नॉमिनेशन से पहले व्यक्तिगत या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना मन्तव्य प्रकट कर सकते हैं ताकि पर्याप्त समय पूर्व संभावित अभ्यर्थियों के बारे में सभी को जानकारी उपलब्ध हो सके । संभावित अभ्यर्थी अपने एजेंडा तथा भविष्य के कार्यक्रमों के संबंध में अपने संकल्प आदि को संगठन के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत या सोशल मीडिया पर लिखित रूप से अथवा ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>मतदाताओं के सुविधार्थ मार्गदर्शिका</u> –

1. ऑनलाइन वोटिंग संगठन की आधिकारिक वेबसाइट www.racsassociation.com पर संपन्न होगी। वोटिंग विन्डो 25–05–2025 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ होकर सांय 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। निर्धारित समय के पश्चात् वोटिंग विन्डो स्वतः ही बन्द हो जायेगी।
2. समस्त अधिकारीगण से अनुरोध है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए वित्त विभाग की सिविल लिस्ट में अपना नाम तथा मोबाइल नंबर की जाँच करलें तथा जरूरी हो तो उसमे उचित संशोधन करवा लें. ऑनलाइन मताधिकार का प्रयोग मोबाइल फोन पर ओ टी पी के माध्यम से ही संभव हो सकेगा. इसके अतिरिक्त एसोसिएशन द्वारा निर्धारित शुल्क रु. 1000 दिनांक 14–05–2025 तक जमा करवा कर सुश्री महिमा पचार को सूचित कर दें. इसके अभाव में मतदान नहीं किया जा सकेगा ।
3. दिनांक 15–05–2025 को चुनाव समिति द्वारा अस्थाई मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा , जिसका अवलोकन कर यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 16–05–2025

को 4:00 बजे तक आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी. आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 18–05–2025 को 11:00 बजे अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित कर दिया जाएगा. केवल अंतिम मतदाता सूची में शामिल अधिकारीगण ही निर्वाचन में भाग ले सकते हैं तथा पोर्टल पर मतदान कर सकते हैं ।

4. डेस्कटॉप या लैपटॉप से मतदान करने के लिए www.racsassociation.com पर जाकर Home Page पर Election टैब खोलकर दिये गये Instructions के अनुसार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करें। इसी प्रकार मोबाईल फोन से मतदान करने के लिए www.racsassociation.com पर जाकर Home Page पर Menu टैब खोलकर उसमें Election टैब को खोलकर दिये गये Instructions के अनुसार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करें ।
5. जो अधिकारीगण मताधिकार का उपयोग करने के पात्र होंगे, वे दिनांक 25–05–2025 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट www.racsassociation.com पर जाकर मतदान के लिए उपलब्ध कराए गए लिंक का उपयोग कर अपने मोबाइल तथा ओ टी पी का प्रयोग कर लोगिन कर सकते है. लॉगिन उपरांत उन्हें मतदान के लिए सभी योग्य अभ्यर्थियों के विकल्प दिखाई देंगे जिनमे से अपनी पसंद के अभ्यर्थी को मतदान कर सकेंगे।
6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव पद के लिए एक एक विकल्प का चयन करना होगा. संयुक्त सचिव के लिए अधिकतम 2 तथा कार्यकारी सदस्यों (Executive Member) के लिए 5 विकल्पों का चयन कर सकेंगे. नोमिनेशन विन्डो 19 मई, 2025 को प्रातः 10:00 बजे से 20 मई को सांयकाल 6:00 बजे तक खुली रहेगी। 21 मई 2025 को नोमिनेशन ऑनलाईन ओटीपी के माध्यम से विड्रा किया जा सकेगा।
7. वास्तविक मतदान की दिनांक से पूर्व पोर्टल को दिनांक 12 मई, 2025 से 14 मई, 2025 के मध्य ट्रायल के लिए खोला जाएगा। इस अवधि में चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थीगण तथा मतदान करने वाले अधिकारीगण अपने से सम्बंधित प्रक्रिया का ट्रायल ले सकते हैं. ट्रायल अवधि के पश्चात ट्रायल डाटा को डिलीट कर दिया जाएगा। उक्त सुविधा सेवा के सभी सदस्यों को उपलब्ध रहेगी। ट्रायल का डाटा सार्वजनिक नहीं किया जायेगा।
8. मतदान प्रक्रिया के सुचारु संचालन तथा अभ्यर्थियों एवं मतदाता अधिकारीयों के सहायतार्थ हेल्पडेस्क प्रभारी से संपर्क किया जा सकता है जिसका मोबाईल नं. दिनांक 19 मई, 2025 को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यह सुविधा दिनांक 19–05–2025 से 25–05–2025 चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक उपलब्ध होगी।

सभी अधिकारियों से निवेदन है कि चूंकि उक्त ऑनलाईन चुनाव प्रक्रिया प्रथम बार सम्पादित की जा रही है अतः सभी अधिकारियों से सुझाव एवं सहयोग अपेक्षित है।

(डॉ. देवराज) (सुरेश वर्मा) (सांवरमल) (पूनम चौधरी) (प्रशान्त गुप्ता)